राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 932/2024

शीषपाल **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, महिला सशक्तिकरण विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग) जे—7, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024

आदेश की दिनांक : 20.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री ललित शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता/केविएटर

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला पर्यवेक्षक के पद पर टीब्बी, हनुमानगढ़ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से छीपाबडौद, बारां किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के दो बेटी हैं जो 8 वर्ष एवं 4 वर्ष के हैं, जिनकी देखभाल के लिए परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी

मधुमेह एवं उच्च रक्त चाप से पीडित है, जिसका उपचार चल रहा है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज नियम, 2011 के विपरीत जाकर स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन महिला पर्यवेक्षक के पद पर टीब्बी, हनुमानगढ़ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से छीपाबडौद, बारां किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायती राज नियम, 2011 के विपरीत किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर जारी किया गया, जिसमें सक्षम स्तर से अनुमोदित किया जाना अंकित किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश नियमानुसार जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण लम्बे समय अंतराल के पश्चात् किया गया है, किसी भी कार्मिक को एक ही पद पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य**

(**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य